

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 17/2019 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण सैन विक्रेता एफबीओ मैसर्स:- वृन्दावन दूध मावा पनीर भण्डार, गुप्तेश्वर रोड दौसा ।
2. श्री राजनारायण पुत्र श्री सत्यनारायण सैन मालिक एफबीओ मैसर्स:- वृन्दावन दूध मावा पनीर भण्डार, गुप्तेश्वर रोड दौसा ।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित ।



—: आदेश :-

दिनांक:- 04.12.2019

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.02.2019 को दोपहर बाद 04:15 बजे मैसर्स:- वृन्दावन दूध मावा पनीर भण्डार, गुप्तेश्वर रोड दौसा स्थित दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण सैन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक फ्रीजर में स्टील के भगोने में करीबन 10 किग्रा पनीर आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 1 किग्रा पनीर खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 200 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1 किग्रा पनीर को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर-बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 20-20 बूंद फॉर्मलीन की डालकर बोतलों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को



(Handwritten Signature)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.- 2098 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ. बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहन को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.02.2019 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.02.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.02.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /339/एक्ट/2019/208 दिनांक 26.02.2019 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अनसेफ पाया गया है। आरएफएल पूर्ण की जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/169/19/344/2019 दिनांक 15.04.2019 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./339/एक्ट/2019/208 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अनसेफ होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में नमी की मात्रा 73.49 प्रतिशत पायी गई हो जो कि तय मानको के अनुसार 60.00 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। Total solid by weight 26.51 प्रतिशत पाया गया है। जो कि तय मानको के अनुसार 40.00 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। Milk fat content 3.93 प्रतिशत बहुत ही कम पाया गया है, जो कि तय मानको के अनुसार 50.00 से कम नहीं होना चाहिए। जांच नमूने की बी. आर. रीडिंग 48.6 प्रतिशत आई है, जो कि तय मानको के अनुसार 40.0 से 44.0 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आरएफएल पूर्ण की जांच रिपोर्ट के अनुसार भी खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने में नमी की मात्रा तय मानको से अधिक एवं Milk fat की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने के कारण खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।



(Handwritten signature)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान प्रकरण में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हम सिकराय के रवि शर्मा से एक दिन छोड़कर एक दिन 5 किग्रा पनीर उसके विश्वास से लेते थे, क्योंकि हमारे पास पनीर जांच के उपकरण उपलब्ध नहीं है। हमारे खुली बिक्री प्रतिदिन 2-2.5 किग्रा की होती थी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने के बाद से हमने उससे पनीर लेना भी बन्द कर दिया है। भविष्य में हम किसी प्रकार की मिलावट की संदिग्ध सामग्री खरीदने वे बेचने का कार्य नहीं करेंगे। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा न्यूनतम जुर्माना लगाने का निवेदन किया गया।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./339/एक्ट/2019/208 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अनसेफ एवं आरएफएल पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/169/19/344/2019 दिनांक 15.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है एवं इसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण सैन विक्रेता एवं श्री राजनारायण पुत्र श्री सत्यनारायण सैन मालिक एफबीओ मैसर्स:- वृन्दावन दूध मावा पनीर भण्डार, गुप्तेश्वर रोड दौसा पर 25000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 04.12.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लोकेश कुमार मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 6.12.2019

कमांक/ 2686-89

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण सैन विक्रेता
एफबीओ मैसर्स:- वृन्दावन दूध मावा पनीर भण्डार, गुप्तेश्वर रोड दौसा।
4. श्री राजनारायण पुत्र श्री सत्यनारायण सैन मालिक
एफबीओ मैसर्स:- वृन्दावन दूध मावा पनीर भण्डार, गुप्तेश्वर रोड दौसा।

(लोकेश कुमार मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

